जिला विधिक सेवा प्राधिकार, लखीसराय।

व्यवहार न्यायालय परिसर, लखीसराय।

District Legal Services Authority, Lakhisarai

Civil Court Area, Lakhisarai.

Chairman *E-mail dlsalakhisarai@gmail.com* ***Vice – Chairman***

P.District & Sessions Judge, Lakhisarai *District Magistrate, Lakhisarai*

PLVs (पारा विधिक स्वयं सेवक) के चयन हेतू आवेदन

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के पत्रांक 20/बालसा/पीएलवी/337 दिनांक 24.02.2021 के आलोक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, लखीसराय द्वारा दिनांक 25.03.2021 को 100 पारा विधिक स्वयं सेवकों का एक पैनल, एक वर्ष की अवधि के लिए गठीत किया गया था। गठीत पैनल की अवधि को समय-समय पर विस्तारित किया गया। दिनांक 07.04.2025 को बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार से प्राप्त पत्र सं0 44/बालसा/PLV/646 दिनांक 07.04.2025 के अनुसार गए पैनल के गठन हेतु पुराने पैनल को दिनांक 25.09.2025 तक विस्तारित किया गया है। इस प्रकार विहित समय अवधि से पूर्व नए पैनल के गठन हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकार, लखीसराय द्वारा SCHEME FOR PARA LEGAL VOLUNTEERS (REVISED) के निम्न बिन्दुओं से संबंधित पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों से आवेदन पत्र PLVs (पारा विधिक स्वयं सेवक) हेतू आमंत्रित किया जाता है :-

1. PLVs (पारा विधिक स्वयं सेवक) का चयन किसी सरकारी नौकरी में नियुक्ति नही है। कुल 100 PLVs (पारा विधिक स्वयं सेवक) का चयन साक्षात्कार के उपरांत पैनलबद्ध किया जाएगा। जिसका कार्यकाल 1 वर्ष (एक वर्ष) है, पुनः कार्यकाल विस्तार किया जा सकता है।
2. स्कीम के अनुसार लखीसराय जिला के सेवा निवृत कर्मी, स्वयं सहायता समूह के कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका एन0जी0ओ0 कर्मी, विधार्थी, शिक्षक, चिकित्सक, वरिष्ठ नागरिक इत्यादि आवेदन दे सकते है। नालसा योजना के आलोक में ऐसे महिला पुरूष जो बिना किसी आर्थिक लाभ के समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गो के उत्थान में रूचि रखते हो या उनके लिए कार्य करना चाहते हो, पूर्व में चयनित पारा विधिक स्वयं सेवक (अधिवक्ता को छोड़कर) आवेदन कर सकते है।
3. आवेदक लखीसराय जिला का स्थाई निवासी होना चाहिए।
4. योग्यता न्यूनतम मैट्रिक पास एवं अंग्रेजी एवं हिन्दी पढ़ने लिखने का अच्छा ज्ञान होना चाहिए एवं आवेदक दिनांक 16.06.2025 को 21 वर्ष से अधिक आयु का हो।
5. बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार पारा विधिक स्वयं सेवक द्वारा किए गए कार्यो के मूल्यांनोपरांत @ 500/- प्रति कार्य दिवस के हिसाब से मानदेय दिया जाएगा।
6. आवेदक कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकार, लखीसराय में कार्यालय अवधि (07.00 AM to 1.00 PM) में सिर्फ निबंधित डाक द्वारा लिए जायेगें। किसी भी

परिस्थिति में हाथों-हाथ नही लिए जाएगें। आवेदन प्रेषण सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार, व्यवहार न्यायालय, लखीसराय पिन 811311 के पते पर करेंगे।

7. पारा विधिक स्वयं सेवक को स्वेच्छा से बिना किसी लाभ के कार्य करना है। तथा यह कोई सरकारी पद पर भर्ती नही है। अतः पदों का आरक्षण नही है। परन्तु नालसा स्कीम के अनुरूप सभी वर्गो को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। यह नियुक्ति एक वर्ष के लिये है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 16.06.2025 है। दिनांक 16.06.2025 अपराहन 1.00 के बाद आवेदन स्वीकृत नही किए जायेगें।

8. आवेदन की सूचना, प्रारूप चयन प्रकिया, समस्त जानकारी कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकार, व्यवहार न्यायालय, लखीसराय के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

9. आवेदक विहित प्रपत्र में आवेदन पूरी तरह भरकर तथा अपनी शैक्षणिक एवं योग्यता का प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति लगाकर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय में पंजीकृम डाक से 25 रू0 का डाक टिकट लगा स्वपता लिखा लिफाफा अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

10. आवेदक साक्षात्कार हेतू 25/- रू0 का डाक टिकट चिपका स्वपता लिखित लिफाफा आवेदन के साथ अवश्य संलग्न करें।

11. आवेदक द्वारा दी जाने वाली सूचना गलत पाए जाने पर किसी भी समय बिना सूचना के उम्मीद्वारी रद्द की जा सकती है।

अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार,
लखीसराय।
23.05.2025

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, लखीसराय।

प्रपत्र–क

पारा विधिक स्वयं सेवक के चयन हेतू
(यह किसी सरकारी पद पर नियुक्ति नही है)

स्व अभिप्रमा
णित फोटो

1. आवेदक का नाम :–

2. पिता/ पति का नाम :–

3. स्थाई पता :– ग्राम पो0
थाना प्रखंड
पंचायत जिला

4. वर्तमान पता :–

5. जन्म तिथि :–
(आधार कार्ड की प्रति संलग्न करें)

6. मोबाईल सं0.................................. ई–मेल आई डी0...

7. शैक्षणिक योग्यता :–
(स्वअभिप्रमाणित प्रति
संलग्न करें)

8. अन्य योग्यता :–

9. अनुभव यदि हो तो :–

10. आवेदक की श्रेणी :–(सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/अतिपिछड़ा वर्ग)

11. किसी प्रकार का मुकदमा आप पर लंबित हो तो विवरण दें.........................

12. यदि न्यायालय द्वारा आपको दोषसिद्ध किया गया है, तो उसका विवरण दें...........

घोषणा :–मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी में सत्य एवं सही है। किसी प्रकार की सूचना गलत पाए जाने पर मैं स्वयं जिम्मेवार रहूंगा एवं सूचना गलत पाए जाने पर मेरी उम्मीद्वारी रद्द की जा सकती है।

तिथि :–

स्थान :– आवेदक का हस्ताक्षर

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, लखीसराय।

प्रपत्र–ख

पारा विधिक स्वयं सेवक के चयन हेतू

(यह किसी सरकारी पद पर नियुक्ति नही है)

साक्षात्कार–पत्र

स्व अभिप्रमा
णित फोटो

1. आवेदक का नाम :–

2. पिता/ पति का नाम :–

3. स्थाई पता :–

4. वर्तमान पता (मोबाईल संख्या सहित) :–

....

कार्यालय (जिला विधिक सेवा प्राधिकार, लखीसराय) उपयोग हेतू

क्रमांक ....

साक्षात्कार की तिथि ....

साक्षात्कार का समय ....

साक्षात्कार का स्थान :– प्रकोष्ठ अध्यक्ष / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार, लखीसराय।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकार,
लखीसराय।

नोट :– साक्षात्कार हेतू यात्रा भत्ता देय नही है। साक्षात्कार के समय सभी मूल दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य है।